आरबीई सं.64/2022

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

सं. 2022/ई(डब्ल्यू)/01/09 **नई दिल्ली, दिनांक 10.06.2022**

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय : रेल सेवक और उनकी पत्नी/पति के निधन के बाद विधवा पास जारी रखने के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ : मॉडर्न कोच फैक्टरी, रायबरेली के दिनांक 09.12.2021 एवं 17.02.2022 के पत्र सं. एमसीएफ/आरबीएल/एस्ट./पी.फाइल/187/पार्ट-II।

मॉडर्न कोच फैक्टरी/रायबरेली ने अपने उपर्युक्त संदर्भित पत्रों के तहत मृतक रेल सेवक के पति/पत्नी की मृत्यु के बाद शेष लाभार्थी, जो विधवा पास के पात्र हैं, के पक्ष में इस सुविधा को जारी रखने के लिये यह उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि मौजूदा रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण-1993) में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जिन परिवारों ने कोविड-19 महामारी के दौरान माता-पिता दोनों को खो दिया है और गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उन्होने भी विधवा पास सुविधा को जारी रखने की मांग की है। ऐसे मामलों में पास सुविधा जारी रखने के लिए ऑल इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन रेलवेमेन से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त एवं विधवा पास सुविधा से जुड़े प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे की जांच की गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक रेल सेवक के पति/पत्नी के निधन के बाद भी विधवा पास सुविधा मौजूदा पास नियमों के अनुसार विधवा पास में शामिल होने के पात्र ज्येष्ठ लाभार्थी के नाम पर जारी रखी जा सकती है। अन्य पात्र सदस्यों को भी पहले की तरह विधवा पास खाते में शामिल किया जा सकता है।

2. ऐसे मामलों में जहां विधवा पास खाता बंद कर दिया गया है या खोला ही नहीं गया है, लेकिन मृतक रेल सेवक के परिवार का सदस्य जो विधवा पास का लाभार्थी होने के लिए पात्र है, उनका आवेदन प्राप्त होने पर पास जारीकर्ता प्राधिकारी (PIA) जहां विधवा पास खाता मौजूद था या जहां से मृतक रेल सेवक सेवानिवृत्त हुआ था, बंद हुए विधवा पास या नया विधवा पास खाता खोलने के लिए, मामले के अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल, हकदार पासों की संख्या की गणना वर्तमान कैलेंडर वर्ष से ही की जाएगी एवं तदनुसार पास जारी किए जाएंगे।

3. पास की श्रेणी, पास की संख्या और अन्य सुविधाएं/शर्तें रेल सेवक के निधन के समय उनकी पत्नी/पति को विधवा पास प्रदान करने के लिए प्रचलित नियमों के द्वारा विनियमित की जाएंगी।

4. विधवा पास लाभार्थी के रूप में पहले से ही आजीवन वैधता के साथ जारी किए गए व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्र मान्य रहेंगे। ऐसे मामलों में जहां पात्र लाभार्थी के पास ऐसा कोई परिवार पहचान-पत्र उपलब्ध नहीं है उनको नया परिवार पहचान-पत्र जारी किया जाएगा।

5. विधवा पास सुविधा को उस लाभार्थी के लिए बंद कर दिया जाएगा जो किसी भी अन्य वजह से पास सुविधा का हकदार हो जाता है या मौजूदा पास नियमों के किसी अन्य प्रावधान के तहत पास सुविधा के लिए अपात्र हो जाता है।

6. क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां इस स्पष्टीकरण को अपने नियंत्रणाधीन सभी PIA के ध्यान में लाएं और उन्हें **<u>प्राथमिकता के आधार पर इस संबंध में अनुरोधों का निपटान करने</u>** के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दें।

7. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

वी. मुरलीधरन

(वी. मुरलीधरन)
उप निदेशक, स्थापना (कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड
ईमेल: ddew1@rb.railnet.gov.in
फोन: 011-23047203

https://www.staffnews.in

सं.2022/ई(डब्ल्यू)/01/09 **नई दिल्ली, दिनांक 10.06.2022**

प्रतिलिपि प्रेषित:-

भारत के उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (रेलवे), कमरा नंबर 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1 महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे बोर्ड - सूचना और चिकित्सा सुविधा के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु।

2 कार्यपालक निदेशक/वेतन आयोग- II, रेलवे बोर्ड - सूचना और एचआरएमएस के ई-पास/पीटीओ मॉडयूल के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु।

3 निदेशक (सा.प्र.), रेलवे बोर्ड - सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु।

4 कंप्यूटर सेल, रेलवे बोर्ड - रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर सभी संबंधितों को सूचनार्थ अपलोड करने हेतु।

5 मानक सूची के अनुसार

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा नं.256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं.253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. सदस्य, राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद और सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. महासचिव, एफआरओए, कमरा नं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं.402, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. महासचिव, आरबीएसएसएसए, कमरा नं.439, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी अधिकारी संघ, कमरा नं.341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. महासचिव, अखिल भारतीय आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं.256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. महासचिव, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी संघ, कमरा नं.7, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. महासचिव, अखिल भारतीय ओबीसी रेलवे कर्मचारी महासंघ, कमरा नं.48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन कुमार
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

तल सं./Floor No. 5, कमरा सं./Room No.538, रेल भवन/Rail Bhawan
रायसीना रोड/Raisina Road, नई दिल्ली/New Delhi -110001

https://www.staffnews.in